

FROM No.III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

दालत ..... सहायक कलेक्टर (S.D.O.) ..... मुकाम .....


जोधाराम बानु बानु बानु  
 नाम ..... गा. पं. पत्रावडी जमि संरक्षण .....

किस्म मुकदमा ..... 75 RLR नं. 07/2020 सन् 2020 .....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... राजस्थान कास्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... को पेश हो। ग्राम पंचायत पत्रावडी द्वारा पारित नामान्तरण संख्या - 534 दिनांक - 5/07/2020 से रिकॉर्ड तलब करने हेतु तहसीलदार वायडु को तबदीर जारी है।	
23/09/2020	अपीलान्त के वकील उपरिमत रिपोर्ट संख्या - 1 व 2 के नोटिस तामिल करवाया जाय जिसे शामिल पत्रावली किआ गया। तहसीलदार वायडु से नामान्तरण संख्या - 534 का रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 12/10/2020 को पेश है।	
12/10/2020	अपीलान्त के वकील उपरिमत रिपोर्ट संख्या - 1 ग्राम पंचायत पत्रावडी वायडु तामिल अनुपस्थित जिसे विरुद्ध एडवोकेट उपरिवादी समल में लाई जाय है। तहसीलदार वायडु से नामान्तरण संख्या - 534 का रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 20/10/2020 को पेश है।	

20/10/2020


अपीलान्त के वकील उपस्थित। तदधीनस्थ कायदु  
से नामान्तरण करवा - 534 का रिकॉर्ड प्राप्त जिसे  
शामिल पत्रावली किया गया। कल: वास्तु बहम पत्रावली  
दिनांक 04/01/2021 को पैठा है।



सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) कायतु

04/01/2021

अपीलान्त के वकील उपस्थित। अपीलान्त के अति-  
वक्त की रकपक्षिय बहम सुनी गई पत्रावली व  
पत्रावली के संलग्न वाजमव रिकॉर्ड का अंबलौडन किया  
गया, बाद अंबलौडन अपीलान्त की अपील अंबलौडन रकप  
के अंबलौडन की जाकर कलका से किया जाकर  
शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली संलग्न अंबलौडन  
के अंबलौडन नम्बर से इस ही शामिल इन्वॉय है।



सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) कायतु

याप

अपीलान्त  
1. जोधारास  
2. ताप

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु  
(पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.)

अपील संख्या - 07/2020

अपीलांट	बनाम	उत्तरदाता
1. जोधाराम पुत्र मंगलाराम 2. ताजाराम पुत्र पदमाराम जातियान्-जाट, निवासीयान्-मदरूपोणियों की ढाणी, पनावड़ा तहसील-बायतु, जिला बाडमेर।		1. सरपंच ग्राम पंचायत पनावड़ा 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु

दिनांक :- 04/01/2021

उपस्थित :-

1. श्री नरपत पूनड़ वकील अपीलांट

:- आदेश :-

अपीलांट द्वारा अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या-534/05.07.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट संख्या 2 की खातेदारी भूमि मौजा पनावड़ा पटवार मण्डल पनावड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 558/151 रकबा 4.4819 हैक्टेयर में आई हुई हैं। अपीलांट संख्या 2 के द्वारा उक्त आराजी में से अपना सम्पूर्ण हिस्से की भूमि अपीलांट संख्या 1 को जरिये विक्रय पत्र बैचान कर दी। जिसका नामान्तरकरण उत्तरदातागण संख्या 1 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। अतः उक्त कार्रवाही से व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त अपील प्रस्तुत कर अपीलांट संख्या 2 के द्वारा उक्त 'आराजी' में से सम्पूर्ण भूमि अपीलांट संख्या 1 के नाम दर्ज करने का निवेदन किया है।

अपीलांटगण द्वारा देरी के लिये धारा-5 म्याद भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट ने देरी के लिये धारा-5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत सदभावी भूल मानते हुए एवं इस अपील में निहित उक्त देरी के लिए क्षमा मांगते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, उत्तरदातागण को सम्मन जारी किये गये हैं। तहसीलदार बायतु से नामान्तरकरण संख्या 534/05.07.2020 का रेकॉर्ड तलब किया गया।

नामान्तरकरण संख्या-534/05.07.2020 के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट संख्या 2 के द्वारा उक्त आराजी में से सम्पूर्ण हिस्से की भूमि अपीलांट संख्या 1 के नाम से बैचान करने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 534/05.07.2020 भर कर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा "जांच किया अंकन सही पाया गया" की टिप्पणी अंकित करने के बाद भी उत्तरदातागण संख्या 1 के द्वारा नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिया गया।



सहायक कलक्टर  
(SDO) बायतु

हमने अपीलांट वकील की बहस सुनी व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि इस अपील में अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकारी के अधिकारों का सारगर्भित तथ्य समाहित है, यदि उक्त अपील को म्याद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकार के सारवान अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्येनजर रखते हुए अपीलांट की अपील अन्दर म्याद आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 534/05.07.2020 को खारिज किया जाकर तहसीलदार बायतु को प्रतिप्रेषित कर, मौजा पनावड़ा पटवार मण्डल पनावड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 558/151 रकबा 4.4819 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि अपीलांट संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बायतु उक्त आदेश के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।



निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु